



प्रेस विज्ञप्ति

(सूचना एवं जन-सम्पर्क कार्यालय,कैमूर)

संख्या :- 176

दिनांक :- 03.10.2012

जिले में विद्युत विपत्र सम्बंधी शिकायत की हेल्पलाइन सेवा शुरू

**कैमूर(भभुआ) 03 अक्टूबर 2012 :-** बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत विपत्र संबंधी सुविधा के लिए जिले में एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस सेवा के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं को अब शिकायत के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इस हेल्पलाइन सेवा के जरिये विद्युत उपभोक्ता अपनी शिकायत को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक दर्ज करा सकते हैं जिसका मोबाइल नम्बर **9430807821** है। उपभोक्ता सर्वप्रथम अपनी शिकायत विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल/प्रमंडल में लिखित शिकायत दर्ज करायेंगे। शिकायत दर्ज होने के 15 दिनों तक अगर शिकायत निष्पादित नहीं किया जाता है तब उपभोक्ता इस हेल्पलाइन सेवा का उपयोग कर अपनी शिकायत दर्ज करायेंगे। विद्युत बोर्ड द्वारा जारी इस हेल्पलाइन पर निम्नलिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं :-

- अगर बिल दोष में सुधार नहीं हो रहा हो।
- मीटर रीडिंग में सुधार नहीं हो रहा हो।
- बिल नहीं मिल रहा हो।
- विद्युत विपत्र का ऑनलाइन भुगतान ([www.bsebbills.org](http://www.bsebbills.org)) से संबंधित समस्या।
- बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा हो।
- कनेक्शन मिलने के बाद बिल नहीं आता हो।
- लोड वृद्धि के बाद भी बिल लोड वृद्धि के अनुसार नहीं बनता हो।
- खराब मीटर को नहीं बदला जा रहा हो।
- तार गिरने आदि से विद्युत आपूर्ति बाधित होने की सूचना दर्ज होने के पश्चात् भी आपूर्ति बहाली नहीं की जा रही हो।
- ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत करने के पश्चात् ट्रांसफार्मर को नहीं बदला जा रहा हो।

अतः उक्त शिकायतों को हेल्पलाइन के जरिये शिकायत दर्ज कराने की सुविधा से उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए विद्युत कार्यालयों को बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और उपभोक्ता इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे। साथ ही विद्युत उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान अपने नजदीक के सहज वसुधा केन्द्र पर भी जाकर कर सकेंगे।

